https://www.upboardonline.com/

विषय– हिन्दी
(कक्षा–11)

कोविड–19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र–2021–22 में विद्यालयों में समय से पठन–पाठन का कार्य न हो पाने की स्थिति में सम्यक विचारोपरान्त विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा निम्नवत् 30 प्रतिशत पाठ्यक्रम कम किये जाने की अनुशंसा की गयी है:–

खण्ड–क

गद्य हेतु–

1–रायकृष्ण दास– आनन्द की खोज, पागल पथिक

2–रामवृक्ष बेनीपुरी– गेहूँ बनाम गुलाब

काव्य हेतु–

1–मलिक मोहम्मद जायसी– नागमती वियोग–वर्णन

2–केशवदास– स्वयंवर–कथा, विश्वामित्र और जनक की भेंट

3–विविधा– सेनापति, देव, घनानन्द

4–कविवर बिहारी– भक्ति एवं श्रृंगार।

कथा साहित्य–

1– भगवती चरण वर्मा– प्रायश्चित

खण्ड–ख

संस्कृत दिग्दर्शिका

1–लोभः पापस्य कारणम।

2– चतुरश्चौर

संस्कृत एवं हिन्दी व्याकरण–

व्यंजन सन्धि– झलांजशझशि, खरिच, मोऽनुस्वारः तोर्लि, अनुस्वारस्ययि पर सवर्णः।

विसर्ग सन्धि– अतोरोरप्लुतादप्लुते, हशिच, रोरि।

समास– बहुव्रीहि।

संज्ञा– राजन्, जगत् सरित।

सर्वनाम–सर्व, इदम्, यद।

धातु रूप– (परस्मैपदी) दा, कृ, चुर

प्रत्यय– तब्यत्, अनीयर, वतुप।

विमक्ति– स्वधालंबषट्योगाच्च, षष्ठीशेषे, यतश्चनिर्धारणम।

काव्य सौन्दर्य के तत्व – छन्द–

(1) वर्णवृत्त–इन्द्रवज्रा, उपेन्द्रवज्रा, सवैया, मत्त्गयंद, सुमुखी, सुन्दरी, बसन्ततिलका (लक्षण एवं उदाहरण)

(2) मुक्तक–मनहर (लक्षण एवं उदाहरण)

उपर्युक्त के अनुक्रम में 70 प्रतिशत का पाठ्यक्रम निम्नवत् है–

विषय– हिन्दी
(कक्षा–11)

पूर्णांक 100

इस विषय में 100 अंकों का एक प्रश्नपत्र तीन घण्टे का होगा। सम्पूर्ण प्रश्नपत्र दो खण्डों में विभाजित है–

क– गद्य, पद्य, खण्ड काव्य, नाटक और कहानी।

ख– संस्कृत– गद्य, पद्य, निबन्ध, काव्य सौन्दर्य के तत्व, संस्कृत व्याकरण और अनुवाद।

खण्ड–क (अंक–50)

1–हिन्दी गद्य का विकास (गद्य की पाठ्य पुस्तक में दिये गये पाठों पर आधारित विभिन्न कालों में गद्य की भाषा–संरचना, विधाओं में परिवर्तन, युग–प्रवर्तक लेखकों का योगदान एवं प्रमुख रचनाएं (वस्तुनिष्ठ प्रश्न)। 1X5=5अंक

2–काव्य साहित्य का विकास (विविध कालों की काव्य प्रवृत्तियाँ, उनमें परिवर्तन, प्रतिनिधि कवि एवं उनकी प्रमुख कृतियाँ), वस्तुनिष्ठ प्रश्न। 1X5=5 अंक

3– पाठ्यक्रम में निर्धारित गद्यांशों पर आधारित पांच प्रश्न। 2X5=10 अंक

4– पाठ्यक्रम में निर्धारित पद्यांशों पर आधारित पांच प्रश्न। 2X5=10 अंक

5(क)–संकलित गद्य के पाठों के लेखकों का साहित्यिक परिचय, जीवनी, कृतियाँ तथा भाषा शैली(शब्द सीमा अधिकतम80)3+2=5 अंक

Downloaded From official website on dt 12-Nov-2021

(ख)–काव्य–सौष्ठव–कवि परिचय, जीवनी, कृतियाँ, साहित्यिक विशेषताएँ– (शब्द सीमा अधिकतम 80) 3+2=5 अंक

6– कहानी–चरित्र–चित्रण, कहानी के तत्व एवं तथ्यों पर आधारित लघु उत्तरीय (शब्द सीमा अधिकतम 80) 5x1=5अं

7– नाटक–निर्धारित नाटक की विशेषताएँ एवं पात्रों के चरित्र चित्रण पर आधारित लघु उत्तरीय प्रश्न(शब्द सीमा अधिकतम 80) 5x1=5अंक

खण्ड–ख (अंक–50)

8(क)–पठित पाठ्य पुस्तक के निर्धारित पाठों के संस्कृत गद्य का संदर्भ सहित हिन्दी में अनुवाद 2+5=7 अंक

(ख)– पठित पाठ्य पुस्तक के निर्धारित पाठों के संस्कृत पद्य का संदर्भ सहित हिन्दी में अनुवाद 2+5=7 अंक

9–पाठों पर आधारित अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का संस्कृत में उत्तर (कोई दो प्रश्न करना है)। 2+2=4 अंक

10–काव्य सौन्दर्य के तत्व–

(क) सभी रस–(परिभाषा, उदाहरण एवं पहचान) 1+1=2अंक

(ख) अलंकार (1) शब्दालंकार–अनुप्रास, यमक, श्लेष (परिभाषा अथवा उदाहरण) 2 अंक
(2) अर्थालंकार–उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, सन्देह, भ्रान्तिमान, अन्वय, प्रतीप, दृष्टान्त तथा अतिशयोक्ति (परिभाषा अथवा उदाहरण)
(ग) छन्द (1) मात्रिक–चौपाई, दोहा, सोरठा, रोला, कुण्डलिया, हरिगीतिका, वरवै (लक्षण एवं उदाहरण) 1+1=2 अंक

11–निबन्ध–हिन्दी में मौलिक अभिव्यक्ति। दिये हुए विषय पर निबन्ध, (जनसंख्या, पर्यावरण, स्वास्थ्य शिक्षा आदि की जानकारी हेतु इन विषयों पर भी निबन्ध पूंछे जायेंगें)। 2+7=9 अंक

संस्कृत व्याकरण– (क्रम संख्या 12 एवं 13 से वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूंछे जायेंगे)

12– क–सन्धि–(1) स्वर सन्धि–एचोऽयवायावः एङः पदान्तादति, एङपररूपम् 1x3=3 अंक

(2) व्यंजन–स्तोः श्चुनाश्चुः, ष्टुनाष्टुः,

(3) विसर्ग–विसर्जनीयस्य सः, सजुषोरुः,

ख– समास–अव्ययीभाव, कर्मधारय। 1+1=2 अंक

13–(क) शब्दरूप (1) संज्ञा–आत्मन्, नामन, ,। 1+1=2 अंक

(ख)–धातुरूप–लट्, लोट, विधिलिङ्ग, लङ, लृट– स्था, पा, नी,

1+1=2 अंक

(ग)–प्रत्यय (1) कृत–क्त, क्त्वा, 1+1=2 अंक

(2) तद्धित–त्व, मतुप,

(घ)–विभक्ति परिचय–अभितः परितः, समयानिकषाहाप्रतियोगेऽपि, यनाङ्गविकारः,

सहयुक्तेऽप्रधाने, नमः स्वस्तिस्वाहा। 1+1=2 अंक

14–हिन्दी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद। 2+2=4 अंक

निर्धारित पाठ्य वस्तु (माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा निर्धारित अंश) का अध्ययन करना होगा।

खण्ड–क

पुस्तक का नाम	लेखक का नाम	पाठ का नाम
1	2	3
गद्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु	1–भारतेन्दु हरिश्चन्द्र	भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है?
	2–आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी	महाकवि माघ का प्रभात वर्णन
	3–श्याम सुन्दर दास	भारतीय साहित्य की विशेषताएँ
	4–सरदार पूर्ण सिंह	आचरण की सभ्यता
	5–डा0 सम्पूर्णानन्द	शिक्षा का उद्देश्य
	6–राहुल सांकृत्यायन	अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा
		सड़क सुरक्षा
		गंगा की स्वच्छता एवं संरक्षण
काव्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु	1–कबीरदास	साखी, पदावली
	2– सूरदास	विनय, वात्सल्य, भ्रमरगीत

Downloaded From official website on dt 12-Nov-2021

	3– तुलसीदास	भरत– महिमा, गीतावली, कवितावली, दोहावली, विनय पत्रिका।
	4–महाकवि भूषण	शिवा–शौर्य, छत्रसाल प्रशस्ति
कथा साहित्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु	1–प्रेमचन्द	बलिदान
	2–जयशंकर 'प्रसाद'	आकाश दीप
	3–यशपाल	समय
	4–जैनेन्द्र कुमार	ध्रुव यात्रा

नाटक (सहायक पुस्तक)

क्र0 सं0	पुस्तक तथा लेखक	प्रकाशक	अनुदानित जिले
1	कुहासा और किरण लेखक–श्री विष्णु प्रभाकर	भारतीय साहित्य प्रकाशन, 204–ए वेस्ट एण्ड रोड, सदर, मेरठ।	मेरठ, आजमगढ़, मुरादाबाद, बलिया, रायबरेली, झांसी, सुल्तानपुर, लखीमपुर खीरी, बदायूँ, पीलीभीत।
2	आन की मान लेखक–श्री हरिकृष्ण प्रेमी	कौशाम्बी प्रकाशन, दारागंज, प्रयागराज	वाराणसी, लखनऊ, इटावा, बरेली, फर्रूखाबाद, एटा, शाहजहांपुर, उन्नाव, हमीरपुर।
3	गरूड़ ध्वज लेखक–लक्ष्मी नारायण मिश्र	साहित्य भवन, प्रा0लि0, 93, के0पी0 कक्कड़ रोड़, प्रयागराज।	आगरा, गोरखपुर, जौनपुर, फैजाबाद, बिजनौर, फतेहपुर, गोण्डा, सीतापुर, प्रतापगढ़, बहराइच, ललितपुर।
4	सूत पुत्र लेखक–डा0 गंगा सहाय "प्रेमी"	राम प्रसाद एण्ड सन्स, अस्पताल रोड, आगरा।	प्रयागराज, सहारनपुर, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर, गाजीपुर, मैनपुरी, जालौन, हरदोई, बाराबंकी।
5	राज मुकुट लेखक–श्री व्यथित "हृदय"	सिम्बुल लैंग्वेज कारपोरेशन अस्पताल रोड़, आगरा	कानपुर, बुलन्दशहर, मथुरा, बस्ती, मिर्जापुर, देवरिया, बांदा, रामपुर।

नोट :–इसके अतिरिक्त अन्य जिलों/नवसृजित जिलों में नाटक पूर्व की भांति यथावत् पढ़ाये जायेंगे।

खण्ड–ख

संस्कृत दिग्दर्शिका

पाठ्य वस्तु

1–वन्दना
2–प्रयागः
3–सदाचारोपदेशः
4–हिमालयः
5–गीतामृतम्
6–चरैवेति–चरैवेति
7–विश्वबन्द्याः कवयः,
8–सुभाषचन्द्रः।

गंगा की स्वच्छता एवं संरक्षण

वस्तुतः मानव सभ्यता को फली भूत होने का मुख्य आधार बिन्दु प्राकृतिक संसाधन पर ही निर्भर है। परन्तु 'जल' एक ऐसा प्रकृति प्रदत्त उपहार है जिसका मानव सभ्यता के पास दूसरा विकल्प नहीं है। जीवन में जल का महत्व इसी से समझा जा सकता है कि बड़ी–बड़ी मानव–सभ्यता (वैदिक सभ्यता, सिन्धु सभ्यता, मेसेपोटामिया, मिश्र सभ्यता आदि) नदियों के किनारे ही फली–फूली और विकसित हुयी है। जल की अन्यतम श्रोत नदियों की उपयोगिता और रख–रखाव को उपेछित नहीं किया जा सकता है। हमारी सभ्यता और संस्कृति की

Downloaded From official website on dt 12-Nov-2021

https://www.upboardonline.com/

अतुलनीय निधि, भारत भूमि की अन्यतम् पहचान, पवित्र और अमृत पयस्विनी माँ गंगा के महत्व को तो विशेष रूप से विस्मृत नहीं किया जा सकता है।

पुराणों में उल्लिखित गंगा नदी को भागीरथी के कठोर तप से स्वर्ग से धरती पर अवतरित कराना बताया गया है। भौगोलिक दृष्टि से उत्तराखण्ड के उत्तरकाशी जिले के सतोपथ हिमानी से निकली अलकनन्दा और गंगोत्री गोमुख हिमानी ग्लेशियर से निकली भागीरथी नदी जब देवप्रयाग में आकर मिलती हैं तब संयुक्त रूप से गंगा के नाम से जानी जाती है। यह भारत की सबसे लम्बी नदी हैं इनकी कुल लम्बाई 2525 कि0मी0 है जिसमें से 454 कि0मी0 इनका प्रवाह क्षेत्र बंगलादेश में विस्तारित है। गंगा नदी का प्रवाह तंत्र अपनी प्रमुख सहायक नदियों–यमुना, रामगंगा, घाघरा, गोमती, सोन आदि के साथ भारत के पाँच राज्यों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और झारखण्ड होते हुये बांगलादेश से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। उत्तरखण्ड राज्य में यह हरिद्वार जिले से मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती हुई बिजनौर जिले से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। अपनी प्रवाह क्षेत्र में सबसे अधिक भू–भाग उत्तर प्रदेश का ही आबाद करती हैं। उत्तर प्रदेश के 28 जिले से होकर जिसमें से प्रमुखतः कन्नौज, कानपुर, इलाहाबाद(प्रयागराज), वाराणसी से बहती हुई भारतीय सभ्यता और सांस्कृति को समृद्ध करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। परन्तु माँ गंगा से पोषित एक अमूल्य संस्कृति और सभ्यता को प्राप्त करने के बावजूद मानव–सभ्यता इनके रख–रखाव एवं स्वच्छता के प्रति उदासीन बनी रही है।

'औद्योगिक क्रांति के बाद बढ़ते हुए औद्योगिकीकरण, नगरीकरण एवं शहरीकरण के कारण औद्योगिक एवं घरेलू अपशिष्टों के साथ–साथ सीवरों की जल निकासी भी नदियों से जोड़ दी गयी है', जिससे माँ गंगा की अविरल धारा दिन–ब–दिन प्रदूषित होती जा रही है।

संयुक्त राष्ट्र के आह्वान पर जल संरक्षण, पर्यावरण स्वच्छता एवं नदियों की सुरक्षा पर वैश्विक स्तर पर कई कार्यक्रम शुरू किये गए जिससे प्रभावित होकर भारत सरकार ने भी नदियों के संरक्षण के लिए उत्कृष्ट कार्यक्रम प्रारम्भ किया और विशेष कर गंगा नदी में व्याप्त प्रदूषण के उपशमन और जल गुणवत्ता में सुधार करने के उद्देश्य से 1985 ई0 में 'केन्द्रीय गंगा प्राधिकरण' और 'गंगा परियोजना निदेशालय' का गठन किया गया है। जिसके माध्यम से 14 जनवरी 1986 को 'गंगा कार्य योजना' (GAP) का शुभारम्भ किया गया, दो चरणों में लागू की गई 'गंगा कार्य योजना' पर हजारों करोड़ रूपये व्यय करने के बाद भी बेहतर परिणाम प्राप्त करने में सफलता नहीं मिल पायी। पूर्व योजनाओं की समीक्षा के बाद और प्राप्त आंकड़ों के आधार पर केन्द्र सरकार द्वारा 31 दिसम्बर 2009 को 'मिशन क्लीन गंगा' प्रारम्भ करने की घोषणा की गई। इसी संदर्भ में व्यापक पैमाने पर कार्य करने के लिये प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 'राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण' का गठन भी किया गया। इस योजना से भी आशाजनक परिणाम प्राप्त नहीं होने पर केन्द्र सरकार ने 'नमामि गंगे एकीकृत गंगा संरक्षण मिशन' लागू किया और इस योजना में घोषित प्रमुख बिन्दुओं को धरातलीय स्तर पर प्राप्त करने के लिये लगातार प्रयास किया जा रहा है।

Downloaded From official website on dt 12-Nov-2021

https://www.upboardonline.com/

13 मई 2015 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी की अध्यक्षता में सम्पन्न केन्द्रीय मंत्रि–मण्डल की बैठक में केन्द्र सरकार के महत्वाकांक्षी फ्लैगशिप कार्यक्रम 'नमामि गंगे' को स्वीकृति प्रदान की गयी जिसका मुख्य उद्देश्य गंगा नदी को स्वच्छ और संरक्षित करने सम्बन्धी प्रयासों को व्यापक रूप से समेकित करना है। यह कार्यक्रम 'राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण' (NGRBA) के अन्तर्गत ही क्रियान्वित हो रहा है। 'नमामि गंगे' कार्यक्रम के प्रथम चरण में 05 वर्षों हेतु 20 हजार करोड़ रूपये का बजट आवंटित किया गया जो पिछले 30 वर्षों में हुए कुल व्यय से चार गुणा अधिक था, बजट 2019–20 में 'नमामि गंगे' मिशन के लिए आवंटित धनराशि में 750 करोड़ रूपये आवंटित किया गया है। जबकि 2018–19 में यह धनराशि 2250 करोड़ रूपये रही है।

गंगा नदी संरक्षण की इस वृहद् योजना में पूर्व योजनाओं की तुलना में कियान्यवन के प्रारूप में एक बड़ा परिवर्तन किया गया है। जिसके अन्तर्गत उत्कृष्ट और सतत् परिणाम प्राप्त करने लिए गंगा नदी के तट पर रहने वाली जन–आबादी को भी इस परियोजना में शामिल करने के लिए विशेष प्रयास किया गया है। इसके साथ ही इस कार्यक्रम में राज्यों के साथ–साथ जमीनी स्तर के संस्थानों यथा–शहरी स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थानों को भी क्रियान्यवित करने के स्तर पर शामिल किये जाने का प्रयास किया गया है। जिसे 'स्वच्छ गंगा हेतु राष्ट्रीय मिशन' (NMCG) तथा इसके अनुषंगी राज्य संगठनों अर्थात् 'राज्य कार्यक्रम प्रबन्ध समूह' (SPMG) द्वारा क्रियान्यवित किया जाएगा। इसको लागू करने के लिए आवश्यतानुसार स्थानीय स्तर पर भी क्षेत्रीय कार्यालयों को स्थापित करने की प्रक्रिया जारी है।

'नमामि गंगे' कार्यक्रम के कियान्यवन को बेहतर बनाने के लिए परियोजना पर्यवेक्षण हेतु त्रिस्तरीय प्रणाली प्रस्तावित है– राष्ट्रीय स्तर पर कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय कार्यबल, राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति, जनपद स्तर पर जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति का गठन किया जाना है जिसकी सहायता 'राज्य कार्यक्रम प्रबन्ध समूह' (SPMG) के द्वारा की जायेगी।

केन्द्र सरकार ने घोषित किया है कि त्रिस्तरीय कार्यप्रणाली का सम्पूर्ण वित्तीय–प्रबन्धन वह स्वयं करेगी जिससे कार्यक्रम का प्रगति, त्वरित कार्यान्यवन और उत्कृष्ट परिणाम को प्राप्त करने में गतिशीलता आ सके। पिछली गंगा कार्ययोजनाओं के असफल परिणामों को संज्ञान में लेते हुए केन्द्र–सरकार द्वारा न्यूनतम 10 वर्षों की अवधि तक इस कार्यक्रम के परिचालन और परिसम्पत्तियों के प्रबंधन की व्यवस्था स्वयं करने का निर्णय लिया गया है। इसके अतिरिक्त गंगा नदी के अति प्रदूषित स्थलों के लिए 'सार्वजनिक निजी भागीदारी' (PPP) और 'विशेष प्रयोजन वाहन व्यवस्था' को अपनाया जाना भी प्रस्तावित है। गंगा को प्रदूषित होने से अतिरिक्त बचाव के लिए केन्द्र सरकार द्वारा 'प्रादेशिक सैन्य इकाई' की तर्ज पर 'गंगा ईको टास्क फोर्स' की चार बटालियन को भी स्थापित करने की योजना है और साथ ही प्रदूषण पर पूर्ण नियंत्रण और नदी के संरक्षण पर कानून बनाने के लिए भी अलग से विचार किया जा रहा है।

Downloaded From official website on dt 12-Nov-2021

https://www.upboardonline.com/

केन्द्र–सरकार द्वारा की गई प्रशासनिक एवं वित्तीय प्रबन्धन जैसे तथ्यों को देखते हुए कहा जा सकता है कि उसके द्वारा लागू की गयी परियोजनाओं और एकीकृत संरक्षण के प्रयासों से माँ गंगा की पवित्र–पावन, अविरल जल धारा अपने विलुप्त हो रहे वास्तविक स्वरूप को प्राप्त करने में अवश्य सफल होंगी किन्तु इसको सफल बनाने के लिए जन सहभागिता की भी अति आवश्यकता है। एक जिम्मेदार नागरिक होने के कारण यह हम सबका उत्तरदायित्व होता है कि अनुच्छेद–51 'क' में उल्लिखित मौलिक कर्तव्यों के अनुपालन में स्वयं भी माँ गंगा की स्वच्छता के प्रति सदैव सजग रहें। जैसे कि मुख्य पर्वो पर गंगा में मूर्ति विसर्जन, शव विसर्जन, पूजा सामग्री का विसर्जन, गंगा पर्यटन के समय खाद्य एवं अपशिष्ट पदार्थ और पालीथीन आदि को फेकना, घरेलू और औद्योगिक अपशिष्टों को गंगा नदी में फेंकना जैसे इत्यादि ऐसे कार्य हैं जिस पर हम स्वयं ही नियंत्रण करके माँ गंगा की स्वच्छता जैसे महान कार्य में अपना सहयोग प्रदान कर सकते हैं।

नोट :– उक्त पाठ्यवस्तु से संदर्भ आधारित प्रश्न नहीं पूंछे जायेंगे।

Downloaded From official website on dt 12-Nov-2021